

## जयपुर राज्य में आधुनिक शिक्षा का विकास (1947 ई. तक)

डॉ० रश्मि मीना

सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत।

### प्रस्तावना

जयपुर रियासत राजपूताना की रियासतों में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, जो कि 1728 ई. में जयपुर की स्थापना से पूर्व 'आम्बेर रियासत' के नाम से जानी जाती थी। आम्बेर नगर 1200 ई. के लगभग कछवाहा वंश के शासक काकिलदेव द्वारा बसाया गया था, जो स्वयं को अयोध्या नरेश रामचन्द्र जी के ज्येष्ठ पुत्र 'कुश' के वंशज मानते थे। इस वंश के राजा भारमल द्वारा 6 फरवरी, 1562 ई. को अपनी ज्येष्ठ राजकुमारी हरखा बाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर द्वारा कर' मुगल-राजपूत मैत्री का प्रारम्भ करना भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम सिद्ध हुआ। इस राजवंश के अन्य प्रमुख शासक राजा भगवन्त दास (1573-89 ई.), राजा मानसिंह (1589-1614 ई.) मिर्जा राजा जयसिंह (1621-1667 ई.) व सवाई जयसिंह (1699-1743 ई.) आदि थे। सवाई जयसिंह द्वारा 25 नवम्बर, 1727 ई. को जयपुर नगर की नींव रखी गई, जिसकी योजना एक बंगाली ब्राह्मण विद्याघर भट्टाचार्य द्वारा तैयार की गई थी।<sup>1</sup> सवाई जयसिंह ने जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा तथा दिल्ली में गति नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए वैद्यशालाओं की करवाई।<sup>2</sup>

जयपुर राज्य में शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में जयपुर के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेन्ट (1844 ई.) मेजर लुडलो की एक रिपोर्ट में उल्लेख मिलता है कि सवाई जयसिंह (1699-1743 ई.) ने ही सर्वप्रथम जयपुर शहर, उसके आसपास के क्षेत्रों एवं जिलों में विद्यालयों की स्थापना करवाई एवं ब्राह्मण पंडितों को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। मेजर लुडलो के अनुसार 1844 ई. में जयपुर राज्य में 52 परगने थे जिनमें से 20 परगनों के 118 स्कूल पुनर्जीवित किए गए एवं स्थानीय अधिकारियों को इस कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया।<sup>3</sup> इस समय तक जयपुर रियासत में परम्परागत शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी एवं हिन्दुओं के लिए 'चाटशाला' (Chat Shalas) एवं मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए 'मकतब' (Maktab) स्कूल होते थे। इस प्रकार के स्कूल व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित किए जाते थे तथा विद्यार्थी शुल्क देकर इनमें शिक्षा ग्रहण कर सकते थे।

1818 ई. में राजा जगतसिंह (1803-1818 ई.) के समय ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ जयपुर रियासत की मैत्री सन्धि सम्पन्न हुई। इसके प्रभावस्वरूप जयपुर रियासत में आधुनिक शिक्षा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। मेजर लुडलो के प्रयासों से 1844 ई. में पंडित शिव दीन एवं उनके दो सहायकों मुंशी किशन स्वरूप एवं मुंशी मखन लाल के निर्देशन में 'महाराजा कॉलेज' की स्थापना की गई।<sup>4</sup> 1847 ई. में इस स्कूल में 250 छात्र थे एवं यहां संस्कृत, फारसी एवं उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। 1860 ई. में इस विद्यालय की दो शाखाएं गंगापोल एवं चांदपोल (जयपुर शहर) में खोली गई। यहां हिन्दी और फारसी पढ़ाई जाती थी। 1867 ई. में इसका पहला बैच मैट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय भेजा गया।

1873 ई. में इसमें इंटरमीडिएट, 1888 ई. में स्नातक (B.A.) तथा 1900 ई. में स्नातकोत्तर (M.A.) के कोर्स प्रारम्भ किए गए। 1905 ई. में विज्ञान स्नातक (B.Sc.) का कोर्स शुरू किया गया। 1947 ई. में जयपुर शहर में मेडिकल कॉलेज खोला गया एवं 1946 ई. में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।<sup>5</sup> 1887 ई. में महाराजा कॉलेज के नव नियुक्त प्रधानाचार्य बाबू हरि दास शास्त्री ने यहाँ 10 मुख्य शिक्षक, 23 शिक्षक (हिन्दी विषय) एवं 17 शिक्षक (उर्दू विषय) नियुक्त किए जिन्हें 10 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था।<sup>6</sup> विद्यार्थियों को प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से जोड़े रखने के लिए राज्य द्वारा छात्रवृत्ति देने की योजना भी प्रारम्भ की गई। विद्यार्थियों को सद् आचरण, नियमित उपस्थिति, एथलेटिक खेलों के आधार पर भी पुरस्कृत किया जाता था। राज्य द्वारा किए गए प्रयासों से प्राथमिक स्कूलों (सरकारी एवं निजी) की संख्या बढ़कर 1899 ई. में 784 तक पहुँच गई, जिनमें 21,129 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। मातृभाषा (vernacular) के स्कूलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1902 ई. में जयपुर राज्य द्वारा पटवारियों एवं कानूनगो जैसे अधिकारियों के पद के लिए मातृभाषा में माध्यमिक परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व ये पद वंशानुगत होते थे। 1925 ई. में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु एक सामान्य स्कूल जयपुर शहर में स्थापित किया गया। जयपुर रियासत के शासकों द्वारा शिक्षा के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप 1931 ई. में प्रत्येक 10 गांवों पर एक सरकारी स्कूल स्थापित हो चुका था। 1941 में प्रति 7.84 गांवों पर एक सरकारी स्कूल स्थापित किया गया। हालांकि अभी भी साक्षरता दर कम थी। अतः 1946-47 में 106 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए तथा अगस्त 1946 में 'प्राथमिक शिक्षा अधिनियम' पारित किया गया। जिसके अनुसार जयपुर शहर के वार्ड एवं नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।<sup>7</sup>

जयपुर रियासत द्वारा महिला शिक्षा के प्रसार हेतु भी प्रयास किए गए। अप्रैल 1866 ई. में महाराजा रामसिंह के आदेश से जयपुर शहर में 'महिला पाठशाला' खोली गई, जिसमें 10 रुपये प्रतिमाह वेतन पर दो महिला शिक्षिका, एक महिला परिचारिका एवं एक महिला चौकीदार नियुक्त की गई। इसमें दो छात्राएं 4 रुपये प्रतिमाह पर सिलाई (Needle work) सिखाने के लिए नियुक्त की गई तथा इसमें 25 छात्राओं ने प्रवेश लिया।<sup>8</sup> 1867 ई. में श्रीमति ऑक्टन को कलकत्ता से बुलाया गया, जिन्होंने इस विद्यालय में सिलाई (Sewing) एवं कढ़ाई (embroidery) की शिक्षा दिलवाना प्रारम्भ किया।<sup>9</sup> 1875 ई. में इस स्कूल की अन्य शाखाएं हाथोरई, गंगापोल एवं घाट दरवाजा में खोली गई तथा इनमें छात्राओं को ही शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण हेतु एक सामान्य स्कूल भी स्थापित किया गया। 1875 ई.

तक इस स्कूल में 564 छात्राओं ने प्रवेश लिया।<sup>11</sup> 1879 ई. तक जयपुर में 10 महिला स्कूल खुल चुके थे जिसमें 717 छात्राएं (578 हिन्दू, 138 मुस्लिम तथा 1 इसाई) छात्राएं अध्ययनरत थीं।<sup>12</sup> इसी समय छात्राओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने हेतु भी एक विद्यालय की स्थापना की गई। 1899 ई. में महिला शिक्षा की चान्दपोल शाखा को बन्द कर दिया गया तथा आमेर में नई शाखा खोली गई। 1881 में जयपुर में 11 महिला विद्यालय थे, जिनमें 748 छात्राएं अध्ययनरत थीं। परन्तु अभी भी महिला शिक्षा की स्थिति राज्य में अच्छी नहीं थी। 1882 में शिक्षा आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने एवं मुख्य उत्तरदायित्व के रूप में ग्रहण करने का सुझाव दिया। राज्य सरकार द्वारा इस सुझाव को ग्रहण किया गया तथा महिला शिक्षा के विकास हेतु अधिक प्रयास प्रारम्भ किया गए।

जयपुर रियासत में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु निजी प्रयास भी किए गए। 1872 ई. में प्रैसबिटेरियन क्रिश्चियन मिशन द्वारा जयपुर शहर में दो महिला मातृभाषा (vernacular) स्कूल खोले गए परन्तु कुछ समय बाद में ये स्कूल बन्द हो गए।<sup>13</sup> 1897 ई. में इस मिशन द्वारा सांभर में 15 छात्राओं के साथ महिला स्कूल खोला परन्तु यह स्कूल भी जल्दी ही बन्द हो गया। शीघ्र ही प्रैसबिटेरियन क्रिश्चियन मिशन द्वारा कायस्थ समाज के लिए दरिबा पान (जयपुर) में स्कूल खोला गया। 1899 ई. में दिगम्बर जैन समुदाय द्वारा शहर में महिला स्कूल खोला गया।<sup>14</sup> 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पंडित शिव नन्द शर्मा द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों से महिला स्कूल खोला गया। 1918 में जयपुर रियासत द्वारा उन्हें 10 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाने लगी। 1909 ई तक महिला सरकारी स्कूलों की संख्या केवल पांच रह गई जबकि निजी क्षेत्र में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1909 ई. जयपुर राज्य में 20 महिला स्कूल थे (15 निजी, 05 सरकारी)। 1909 ई में राज्य द्वारा महिला शिक्षा पर 6,184 रूपयें खर्च किए गए जो 1879-80 में 6,283 रूपये थे। 1924 ई में जयपुर शहर में 10 महिला स्कूल संचालित थे- 4 जैन समुदाय द्वारा, 3 ईसाई मिशनरियों द्वारा (पुरानी बस्ती, दरिबा एवं हथरोई में) तथा 1 स्कूल मुसलमानों द्वारा खोला गया, एक स्कूल सेठ फूलचन्द द्वारा खोला गया।<sup>15</sup> इस समय तक केवल चार महिला सरकारी स्कूल-केन्द्रीय स्कूल, घाट दरवाजा, हाथरोई एवं गंगापोल में संचालित थे। केन्द्रीय महिला प्राथमिक विद्यालय जो 1850 ई में शुरू हुआ था, वह 1927-28 में माध्यमिक स्तर पर पदोन्नत हुआ। इस समय यहाँ 245 छात्राएं अध्ययनरत थीं।<sup>16</sup> इसे 'जयपुर केन्द्रीय महिला स्कूल' कहा जाता था। 1931 ई में केन्द्रीय उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजपूताना एवं केन्द्रीय भारत द्वारा इस स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की। 1933 ई. के उच्च माध्यमिक परीक्षा में 7 छात्राओं ने भाग लिया। जिनमें से 3 छात्राएं पास हुईं।<sup>17</sup> 4 जुलाई, 1943 को जागीरदारों एवं अमीर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं के लिए 'महारानी गायत्री देवी महिला स्कूल' प्रारम्भ करने की घोषणा की गई, जिसमें 12 अगस्त, 1943 में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ।<sup>18</sup>

1941 की जनगणना के अनुसार जयपुर रियासत में कुल 1,73,497 बालिकाओं में से केवल 5,953 (3.43 प्रतिशत) बालिकाएं ही स्कूलों में अध्ययनरत थीं।<sup>19</sup> इस समय जयपुर शहर में 27 महिला स्कूल संचालित थे (1 सामान्य स्कूल, 2 माध्यमिक स्कूल एवं 24 प्राथमिक स्कूल) जिनमें 1,388 बालिकाएं अध्ययनरत थीं। इस वर्ष राज्य द्वारा महिला शिक्षा पर 45,164 रूपयें खर्च किए गए।<sup>20</sup> जयपुर

रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा स्माइल के समय 1944 में जयपुर में इंटरमीडिएट महिला कॉलेज (Inter-mediate collage for girls) की स्थापना की गई जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री दी

जाती थी। 1947-48 में जयपुर राज्य में 183 बालिका स्कूल (73 सरकारी, 110 गैर सरकारी) संचालित थे जिनमें 7,511 छात्राएं अध्ययनरत थीं।<sup>21</sup>

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि यद्यपि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु जयपुर रियासत के शासकों द्वारा एवं निजी क्षेत्र में समय समय पर प्रयास किए जाते रहे तथापि जयपुर रियासत में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। संभवतः इसकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां निहित थीं। सर्वविदित है कि राजपूताना के परम्परागत सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक नहीं समझा जाता था। उस समय समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं का विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना अत्यधिक दुष्कर था। सामान्य मान्यता यह थी कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों में पारंगत होना चाहिए तथा इसके लिए विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक नहीं माना जाता था। समाज में बाल विवाह प्रथा प्रचलित होने के कारण कम उम्र में बालिकाओं का विवाह हो जाता था जिससे उन्हें अध्ययन करने का अवसर नहीं मिल पाता था। जो बालिका विद्यालय सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों से स्थापित किए गए उनमें भी सामान्यतः सिलाई, कढ़ाई-बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक बड़ी समस्या इन विद्यालयों के लिए शिक्षिकाओं का उपलब्ध नहीं होना था। क्योंकि समाज में शिक्षित महिलाओं की संख्या अत्यन्त सीमित थी। कुछ शिक्षित महिलाएं विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने हेतु पारिवारिक बन्धनों के कारण असमर्थ थीं। अतः कहा जा सकता है कि न केवल जयपुर रियासत अपितु राजपूताना की सभी रियासतों में महिला शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। इसके लिए तात्कालीन रूढ़ीवादी सामाजिक-धार्मिक परिवेश उत्तरदायी था।

समाज के पिछड़े वर्ग (Backward classes) की शिक्षा के लिए भी राज्य द्वारा प्रयास किए गए। 1923 ई. में शेखावाटी में इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निजी स्कूल खोला गया। 1927 ई. में जयपुर शहर में चमार, नायक, बलाई, खटीक, रैगर एवं कोली समुदायों के सदस्यों ने शिक्षा विभाग को एक विशेष प्रार्थना पत्र लिखा और अपने समुदाय के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु उचित प्रबंध करने के लिए निवेदन किया गया। उन्होंने अपने बच्चों को 'दरबार' (Princely State Government) द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश दिये जाने का अनुरोध भी किया। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए 'जयपुर राज्य परिषद' (Council of State, Jaipur) द्वारा सितम्बर, 1927 में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जयपुर शहर में एक स्कूल खोला गया। 1928 ई. में समाज सुधारक मंडल, जयपुर द्वारा इस वर्ग के बच्चों के लिए 'चौकड़ी तोपखाना हुजुरी' (Chowkri Topkhana Huzuri) में एक स्कूल खोला गया। 1929 ई. में इस स्कूल को बंद कर दिया गया और 1930 ई. में राज्य परिषद की अनुमति से इसे चांदपोल दरवाजे के बाहर खोला गया। राज्य परिषद की अनुमति से 1929 ई. में 'राजस्थान अछूत सहायक मण्डल, जयपुर' द्वारा अमरसर, मनोहरपुर, बानसा एवं गोविन्दगढ़ में भी अछूत वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। 1947 ई. तक राज्य द्वारा इस वर्ग की शिक्षा हेतु 20 स्कूल खोले जा चुके थे, जिनमें 627 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।<sup>22</sup> राज्य द्वारा इस वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रावृत्तियों के लिए 1500 रूपये की धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई।

अन्ततः कहा जा सकता है कि जयपुर राज्य द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते रहे। यहां हिन्दी, अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा में भी शिक्षण

कार्य को समान रूप से प्रोत्साहित किया गया। महिला शिक्षा हेतु भी सकारात्मक प्रयास किए गए। समाज के पिछड़े वर्गों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए गए। जुलाई 1945 में जयपुर राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग (Handicapped) छात्रों के लिए पोद्दार चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई द्वारा दान में दिए गए भवन में स्कूल खोला गया। 1924 ई. में राज्य सरकार द्वारा मजदूर एवं हस्तशिल्पियों के बच्चों के लिए रात्रिकालीन स्कूल भी खोले गए थे। 1932 ई. में विलियम ओवेन्स (शिक्षा निदेशक राज्य सरकार) ने चुनिंदा स्थानों पर 'ग्रामीण पुनर्निर्माण केन्द्र' (Rural Reconstruction Centre) स्थापित करने एवं ग्रामीणों को कृषि, कपास उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, मधुमक्खी पालन, फलोत्पादन इत्यादि से सम्बंधित उन्नत तरीके सिखाने की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। परन्तु इन प्रयासों में अधिक सफलता नहीं मिली। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा सम्बन्धी इस योजना को व्यापक तैयारी के साथ लागू किया गया और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए। स्पष्ट है कि जयपुर राज्य सरकार न केवल साहित्यिक शिक्षा अपितु कृषि आधारित उद्योगों सम्बन्धी नवीन अनुसंधानों की शिक्षा भी ग्रामीणों को देने के लिए प्रयासरत रही, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। इस दृष्टिकोण से भी जयपुर राज्य को राजपूताना का एक प्रगतिशील राज्य कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा।

#### सन्दर्भ

1. गुप्ता, सावित्री : राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, राजस्थान सरकार, जयपुर, 1987, पृष्ठ 27
2. वही, पृ. 48 :
3. रत्नावत, श्यामसिंह : 'राजपूत नोबिलिटी', पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1989, पृ. 31
4. वर्मा, जी.सी. : 'मॉडर्न एज्युकेशन' : इट्स ग्रोथ एण्ड डवलपमेन्ट इन राजस्थान (1818-1983), पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1984, पृ. 153
5. पानगड़िया, बी.एल. : पॉलिटिकल, सोशियो - इकॉनामिक एण्ड कल्चरल हिस्ट्री पानगड़िया, एन.सी. ऑफ राजस्थान (अर्लियेस्ट टाइम टू 1947), पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1993, पृ. 298
6. गुप्ता, सावित्री : राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, राजस्थान सरकार, जयपुर 1987, पृ. 683
7. वही, पृ. 684
8. वही, पृ. 689
9. वर्मा, जी.सी. : 'मॉडर्न एज्युकेशन : इट्स ग्रोथ एण्ड डवलपमेन्ट इन राजस्थान (1818-1983), पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर 1984, पृ. 243
10. रॉय, आशिम कुमार : 'हिस्ट्री ऑफ जयपुर सिटी', मनोहर पब्लिशर्स, दिल्ली, 1978, पृ. 123
11. वही, पृ. 123
12. इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इण्डिया, दी इंडियन एम्पायर, VOL. IV, 1909, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, यू.के., पृ. 431
13. गुप्ता सावित्री, 'राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, राजस्थान सरकार, जयपुर, 1987, पृ. 690
14. रॉय, आशिम कुमार : 'हिस्ट्री ऑफ जयपुर सिटी' मनोहर पब्लिशर्स, दिल्ली, 1978, पृ. 123
15. वही, पृ. 124
16. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ जयपुर स्टेट - 1926-27 एवं 1927-28, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
17. वही, 1930-31, पृ. 56
18. वही, 1942-43, पृ. 43
19. वर्मा, जी. सी. : 'मॉडर्न एज्युकेशन' : इट्स ग्रोथ एण्ड डवलपमेन्ट इन राजस्थान (1818-1983), पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1948 पृ. 165
20. गुप्ता, सावित्री : 'राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर' राजस्थान सरकार, जयपुर, 1987, पृ. 692
21. वही, पृ. 692 वर्मा, जी. सी. : 'मॉडर्न एज्युकेशन' : इट्स ग्रोथ एण्ड डवलपमेन्ट इन राजस्थान (1818-1983), पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1948 पृ. 166